

25/5/25

बसुलाल प्रसिद्ध द्वारा पीछासीन
अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों
में व्यस्त हैं। निम्नलिखित प्रस्ताव होकर
दिनांक 13.05.25 का पेश हो।

Q

13.05.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अप
अधिवक्ता वादीगण द्वारा बताया गया कि प्रकरण
में वादीगण किसी भी प्रकार की कार्रवाही नहीं
करना चाहते। वादीगण द्वारा पैरवी हिदायत न
होने से NOT-PRESS अधिवक्ता वादीगण की
ओर से अंकित किया गया है।
लिहाना वादीगण का वाद 'अदम पैरवी' में
स्वारिज किया जाता है।
पत्रावली फेरसल शुमार होकर दारिखत दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।

प्रकरण में
वादी किमी
प्रकार की
कार्रवाही नहीं
करना चाहते हैं।
Sumit
13.05.25

13/05/25

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

